ACM आमेर

TR 25/21 कन्हैयालाल बनाम गालू

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	3/3/2022	पत्रावली पेश हुई। व०क०-3401 प्रार्थी अधिवक्ता के संशोधित उनवान पेश किया प्रति, अप्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु दिनांक 14-3-2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर पत्रावली आज दिनांक 14/3/22 को [illegible] बार एसो. [illegible] की जाने से पत्रावली पुनः दिनांक 8/4/22 को पेश हो।
	8/4/2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रा०पत्र O39R4 पेश किया। फोटो प्रति, प्रतिवादी अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रतिवादी संख्या-8 की ओर से भी O39R4 पेश हुआ जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। उभय पक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 18/4/2022 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Apr Date: 2022.09.19 15:0 Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर आमेर मु. [illegible]
	18/4/2022	पत्रावली पेश हुई। व०क०-3401 PO नाइब अन्य राजकार्य में व्यस्त। अतः पूर्व आदेशानुसार 29/4/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. [illegible]

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर कोर्ट क्रं॰ जयपुर

कन्हैयालाल बनाम गलकु

मुकदमा संख्या /वर्ष टी॰ 25/2021 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29-4-2022	पत्रावली पेश हुई। व॰फ॰ उपस्थित। वादीगण का प्रा॰पत्र O 39 R4 जाब्ता दीवानी व प्रतिवादी संख्या-8 के प्रा॰पत्र O 39 R4 दीवानी प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। चूंकि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.3.2021 को विवादित आराजीयात पर अन्तरिम स्थगन आदेश पारित होने से उक्त दोनो प्रार्थना पत्र अन्तरिम स्थगन आदेश के संशोधन से संबंधित है। पत्रावली अंतिम स्तर पर लम्बित है अतः इस स्तर पर अन्तरिम स्थगन आदेश में संशोधन किया जाना न्योचित नहीं है। अतः दोनो प्रा॰पत्र खारिज किये जाते है। उभय पक्ष अधिवक्तागण की प्रा॰पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अन्तिम बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होने से उभय पक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित [illegible] प्रा॰पत्र के मद संख्या-3 में वर्णित खसरा नं॰ [illegible] वाके ग्राम प्रतापपुरा कलां तहसील [illegible] जयपुर पर वे मौके की यथास्थिति कायम रखे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर [illegible] जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharm
Date: 2022.09.19 15:06:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 25 / 2021
बउनवानी कन्हैयालाल बनाम मलकू वगै
निर्णय दिनांक 29.04.2022

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 25 / 2021

निर्णय दिनांक : 29.04.2022

1. कन्हैयालाल पुत्र छोटूराम जाति अहिर, निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. नन्दा पुत्र छोटूराम जाति अहिर, निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. नरेन्द्र पुत्र दयाला जाति अहीर, निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. महेन्द्र पुत्र दयाला जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. ललिता पत्नि कन्हैयालाल जाति अहिर, निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थीगण

बनाम

1. मलखू पत्नि मोहनलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. सीतादेवी पत्नि मोहनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. गोपाललाल पुत्र रामेदव जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. मोहन पुत्र रामेदेव जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. हनुमान पुत्र रामेदेव जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. मोहन पुत्र कानाराम (मृतक दोराने वाद)

6/1 सीतादेवी पत्नी स्व. मोहनलाल

6/2 गणेश यादव पु. स्व. मोहनलाल

6/3 कैलाश चंद पुत्र स्व. मोहनलाल

6/4 कमला यादव पुत्री स्व. मोहनलाल

6/5 सरोज यादव पुत्री स्व. मोहनलाल

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।

7. रामेश्वर पुत्र कानाराम जाति अहीर निवासी निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. चूणीलाल पुत्र नाथू जाति महाजन निवासी निवासी ग्राम प्रतापपुराकंला तहसील आमेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

9. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक जरिये मैनेजर पता राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू जिला जयपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जरिए मैनेजर पता ग्राम पोस्ट भैंसावा जिला जयपुर।
11. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर परिवर्तित नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये मैनेजर पता आमेर जिला जयपुर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील कार्यालय आमेर जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि ग्राम प्रतापपुराकलां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 366, 368, 620, 623, 354, 359, 361, 364, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 365, 367, 369, 370, 371, 373, 374, 621, 622, 624 उक्त भूमि सर्वप्रथम नाथूलाल पुत्र लादू जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी ग्राम प्रतापपुराकलां तहसील आमेर जिला जयपुर के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी। श्री नाथूलाल पुत्र लादू ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 21.07.1967 अपना हिस्सा 1/2 जो कि कुए की नाल से उत्तर की ओर स्थित है का, विक्रय कर विक्रय भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पूर्वज श्री दयाल पुत्र भुवाना व नन्दा पुत्र छोटू को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 1.08.1967 को उपपंजीयक उपजिला आमेर जिला जयपुर के यहां रजिस्ट्रेशन नंबर 150 बुक नंबर 1 वोल्यूम नंबर 16 पृष्ठ संख्या 315 से 319 पर चस्पा किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार विधिवत कब्जे काश्त अनुसार करते आ रहे है परन्तु वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्राथीग्ण के मध्य आज दिवस तक रेकॉर्ड में कोई विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण विक्रय पत्र के उपरोक्त के अनुसार कुए की नाल के उत्तरी भाग पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि को बिना विधिवत विभाजन करवाये प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार को कोई व्यवधान नहीं करें न ही विवादित भूमि की किस्म में परिवर्तन करे एवं न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण करावें, तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर जबरिया कब्जा कर लेंगे जिससे वाद बाहूल्यता को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रार्थीगण के साथ अन्याय कारित होगा इस प्रकार प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 11 बावजूद तामील

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 28.09.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रार्थना मे अंकित किया है कि दिनांक 21.07.1967 को क्रय करना बताते है तथा दिनांक 4.02.1960 को क्रय कर कब्जा प्राप्त करना बता रहे है जो अपने आप में विरोधीभाषी कथन है। नाथू पुत्र लादू द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.1967 को अपना हिस्सा 1/2 जो कि कुए की नाल के उत्तर की ओर स्थित है का विक्रय कर भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पूर्वज दयाल पुत्र भुवाना व नन्दा पुत्र छोटू को संभलाने का कथन अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा न करने हेतू स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है जिसके लिए मिन अप्रार्थी काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते है। अप्रार्थी संख्या 8 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा अंकित तथ्यो को स्वीकारा है।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, विधिनुसार तकासमे के वाद में मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त संपत्तियों की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कब्जे की अवधारणा प्रार्थी के पक्ष में है जिससे प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर उभयपक्षकरान को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि अराजी खसरा नम्बर 366, 368, 620, 623, 354, 359, 361, 364, 355, 356, 357, 358, 362, 363, [illegible] 369, 370, 371, 373, 374, 621, 622, 624 वाके ग्राम [illegible] आमेर [illegible] जयपुर पर वे मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार [illegible] जाकर संलग्न मूल वाद हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:06:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर जि. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर
सहायक कलेक्टर
आमेर जि. जयपुर